हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 01 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जनवरी, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

''जाति आरक्षण पर नया और सार्थक प्रयास''

अजमेर दक्षिण को अनारक्षित करने की उठी मांग

अनुसूचित जाति संगठन लामबंद

विधायिका में जाति आरक्षण के खिलाफ अजमेर से मोर्चा खोल दिया गया है। ओबीसी समाज ने प्रदेश की 59 आरक्षित सीटों में से एक अजमेर दक्षिण को सामान्य सीट में बदलने की सार्वजनिक मांग की है। खास बात ये है कि मांग करने वालों में भाजपा और कांग्रेस के सदस्य एक मंच पर आ गये हैं।

अजमेर । अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अजमेर दक्षिण विधानसभा की सीट को सामान्य सीट में तब्दील करने को लेकर उपजी आवाज के विरोध में अनुसूचित जाति वर्ग से जुडे संगठन लामबंद होने लगे हैं। वहीं इस सीट को सामान्य सीट बनाने के लिए बनी संघर्ष समिति के मुखिया कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के महेश चौहान के खिलाफ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के सौरभ यादव ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर चौहान की गतिविधि को पार्टी की राति-नीति और उसकी सोच की विरोधी बताते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है। अजमेर जटिया पंचायत ने इस सिलसिले में शनिवार को सभा भवन में बैठक बुलाई है जिसमें समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है। पंचायत के संयोजक प्रदीप कुमार तुनगारिया, पार्षद हेमंत सुनारीवाल और लोकेश कुमार ने बैठक के लिए दिए गए आमंत्रण पत्र में उल्लेख किया है कि आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोगों ने संगठन बनाकर गलत व भ्रामक तथ्यों का हवाला देकर सुरक्षित सीट को सामान्य सीट बनाने की कवायद शुरू की है। वर्तमान समय में दलित उत्पीडन की घटनाएं बढ रही हैं। इसलिये व्यापक रूप से सर्व दलित समाज का एक सर्वमान्य संगठन बनाया जाना जरूरी है। ताकि हम अपने हक के लिए संघर्ष कर सकें। उधर, महेश चौहान का कहना है कि वे अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ नहीं है। इस वर्ग के लिए दूसरी सीट आरक्षित की जा सकती है।

दूसरी तरफ मांग को सार्थक और सही बताते हुए ''मिशन हम भारत के ब्राह्मण'' के सदस्यों ने ओबीसी समाज से बैठक करके इस मांग को संविधान सम्मत बताया है। मिशन के एक संयोजक ने बताया कि केवल अजमेर दक्षिण अपितु प्रदेश की सभी 59 आरक्षित सीटों पर चुनाव लडने का संवैधानिक अधिकार सामान्य वर्ग को भी था जो संविधान लागू होने के दस साल बाद तक जारी था। ओबीसी के साथ सामान्य अथवा ईडब्ल्यू एस समाज भी इसकी मांग कर सकता है।

59 आरक्षित सीटों पर सामान्य व ओबीसी वर्ग का प्रत्याशी के चुनाव लडने का संवैधानिक अधिकार बहाल होता है तो इससे एससी एसटी वर्ग को एक प्रतिशत भी नुकसान हाने वाला नही है। कारण कि आजादी पूर्व रियासतकालीन भारत के चुनावों से लेकर आजाद भारत में भी आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग का प्रत्याशी भी चुनाव लडकर विजयी होता था। अर्थात एक सीट से दो प्रत्याशी जीतते थे। आरक्षित भी और अनारक्षित भी। पहली लोकसभा (1952-57) में 91 सीटों पर ऐसा हुआ था। आगे चलकर 1961 में अधिनियम संख्या 1 ऑफ1961 (9 मार्च, 1961) के तहत '' दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (उन्मूलन) अधिनियम 1961 के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस व्यवस्था को बहाल किया जाता है तो जाति आरक्षण के नाम पर देश में फैल रहे विष को रोका जा सकता है।

बिना जांच 'एट्रोसिटी' में गिरफ्तारी रोकने और आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगने जंबूरी मैदान में जुटे क्षत्रिय युवा

करणी सेना परिवार का 21 सूत्री मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन

ब्राह्मण समाज और कुछ ओबीसी जातियों का भी मिला समर्थन

भोपाल। आर्थिक आधार पर आरक्षण और बिना जांच के एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी रोकने समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर करीब ढाई लाख क्षत्रिय युवाओं ने रविवार को जंबूरी मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि संख्या को लेकर करणी सेना के नेताओं के अलग-अलग दावे रहे।

करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर, गुजरात के करणी सेना अध्यक्ष राज शेखावत और शैलेंद्र सिंह झाला समेत कई समाज के कई नेता मांगे पूरी होने तक अनशन पर बैठे रहे। क्षत्रिय समाज के आंदोलन में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज समेत अन्य ओबीसी की कुछ जातियां भी

शामिल हुई थी।

शुरूआत में जीवन सिंह शेरपुर ने मांगें पूरी न होने पर मार्च करते हुए विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन बातचीत के बाद घेराव टाल दिया गया।

मध्यप्रदेश शासन का कहना है कि क्षत्रिय समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी अधिकांश मांगों को पूरा कर दिया गया है। सभी वर्गों के कल्याण के लिए जो भी किया जा सकता है, वो राज्य सरकार करेगी। सभी वर्गों के साथ चर्चा के लिए राज्य सरकार के द्वारा हमेशा खुले हुए हैं

-अरविंद भदौरिया, मंत्री,
मध्यप्रदेश शासन

बिहार-कथित जनगणना पर रार

अनाधिकृत होते हुए भी बिहार सरकार ने प्रदेश में कथित जातिगत जनगणना शुरू कर दी है। कथित इसलिये कि जनगणना केवल केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर करवाई जा सकती है इसलिये प्रदेश सरकार ने इसे जातिगत सर्वेक्षण का नाम दिया है। जैसी की आशा थी इसका विरोध भी शुरू हो गया है।

विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि जाति के बदले आर्थिक गणना होनी चाहिए ताकि देश को टूटने से बचाया जा सकता है जबकि क्षेत्रीय पार्टी केवल अपनी रोटी सेकना चाहती है। उन्होंने सरकार के विजन पर आक्रमण करते हुए कहा कि आप पाँच सौ करोड रू. खर्च कर रहे हैं इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका को मिलेगा ? उस नौजवान जिस पर आप लाठी बरसा रहे है ? आप एक समाधान देने के बजाय व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

उधर बिहार सरकार ने अपने निजि खर्च पर इस जनगणना को करवाने का बीडा उठाते हुए इसे सही ठहराने का प्रयास किया है। इन सब बातों से आवेशित कोई हिंदु सेना नामक संगठन जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और इस जातिगत जनगणना को रूकवाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि ये पी आई एल लोकप्रियता हासिल करने का हथकण्डा है। फिर साथ में ये भी जोड दिया कि यदि जातिगत गणना नहीं होगी आरक्षण के लिये सबको अधिकार कैसे मिलेगा ?

छोटी सी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 'स्टे' देने से मना करते हुए कहा कि इस विषय पर पहले हाईकोर्ट में जाना चाहिये। और याचिका निस्तारित कर दी। खबरों के अनुसार हिंदु सेना के लोग अब पटना हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दायर करेंगे।

अध्यक्ष की कलम से

''2026 का पूर्व प्रभाव''

साथियों,

दो समाचार मन का मथ रहे हैं। 1- वर्ल्ड पोपुलेशन रिव्यू ने भारत की आबादी चीन से 50 लाख अधिक बताई है। 2- नीतिश कुमार की पार्टी जातिवादी जनगणना को चुनावी हथियार के रूप में प्रयुक्त कर रही है। पहली खबर का सत्यापन तो कठिन है क्योंकि हर दस साल में होने वाली जनगणना दो साल तक टल चुकी है और आगे भी 2024 तक संभव नहीं दिखती है।

यह चिंताजनक है कि सरकार सहित दोनों बड़ी पार्टियॉं जातीय जनगणना की प्रति तनिक भी उत्साहित नहीं है, जबकि छोटी और क्षेत्रीय पार्टियॉं इस विषय में बेहत गम्भीर और थोड़ी आक्रमकता का प्रदर्शन भी कर रही है। राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों का यह विचार भेद भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस कथन को प्रमाणित करता है कि आगे जाकर क्षेत्रीय दल देश के लिए खतरनाक सिद्ध होंगे।

न तो राष्ट्रीय दलों को और न ही क्षेत्रीय दलों को बदला जा सकता है। और अब तो ये भी साफ हो गया है कि जातिवाद को समाप्त करना किसी के वश में नहीं है। हालांकि विकास की धारा से आशा बंधी थी लेकिन समस्या से भस्मासुर बना जातिवाद अब सबके लिए खतरा बन गया है। शायद नहीं बल्कि आश्वस्त होकर कहा जा सकता है कि जातीय जनगणना का मूल अभिप्राय 2026 में होने वाला विधायी सीटों का पुन: परिसीमन ही है। केवल ईश्वर का कोई चमत्कार ही उससे पहले जातीवादी आरक्षण को समाप्त कर सकता है। वैसे भारत तो चमत्कारों पर विश्वास करने वाला देश अभी तक है।

जय समता

सम्पादकीय

''जातिवाद लील चुका है सभी आदर्श-सिद्धान्त''

कथित राजनैतिक जनता को बार-बार आश्वासन देती है कि जातिवाद देश के लिए हानिकारक है अत: इसे मिटाया जाना जरूरी है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक का अध्ययन करे तो साफ हो जाता है कि यह आश्वासन केवल जनता को बहला कर या बरगलाकर सत्ता प्राप्त करने का एजेण्डा मात्र है, जिसे सभी पार्टियॉ पूरे मनोयोग से स्वीकार तो करती है लेकिन घोषणा इससे उल्टी करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो दो महिने पहले ही कर्नाटक में तीन जातियों को अनुसूची में शामिल करने पर कोई ना कोई पार्टी तो विरोध करती ही ?

आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिन उच्च आदर्शों को लेकर आगे बढी थी वो भी गांधीवाद को छोड़कर थोड़े ही समय में जातिवादी बनकर सत्ता पर काबिज होने का सपना देखने लगी और पंजाब में सफल भी हो गई। लेकिन जातिवादी होकर सत्ता पर कब्जा करने के लिए एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि का गणित समझे बिना यही पार्टी गुजरात में टॉय-टॉय फिस्स हो गई।

जातिवाद का गढ रहे उत्तर प्रदेश में मायावती ने इसी जातिवाद के बल पर खूब ख्याती और शक्ति प्राप्त करके राज भी किया लेकिन भाजपा ने वहां धार्मिक कार्ड खेलकर जातियों को तीन-तेरहा कर दिया लेकिन जातीय समीकरणों का भी सक्षम प्रयोग करते रहे। जातिवाद के दूसरे मजबूत गढ बिहार में एससी-एसटी के सयुंक्त प्रभाव पर ओबीसी की एकजुटता बेहद प्रभावी रही और लालु-नितीश ने शासन भी किया। वहां पर अभी तक धार्मिक कार्ड अधिक प्रभावी नहीं हो पाया है।

जातिवादी पार्टियों ने बहुत चतुराई के साथ जातिवाद के सारे विष का कर्ताधर्ता ब्राह्मणों को सिद्ध करके राजसुख भोगा है। इतना ही नहीं मनु स्मृति के नाम कर दुरूपयोग करके राजपुतों को भी अन्य जातियों पर अत्याचारी सिद्ध करके जातिवादी रोटियॉं सेकी है। परन्तु जब से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ है तब से जातिवादी पार्टियाँ अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी नये और प्रभावी मुद्दे की तलाश में थी और वो उन्हें मिल गया है अर्थात ''जातिवादी जनगणना''

बिहार प्रांत लम्बे समय तक जातीय हिंसा का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक रह चुका है। अब हिंसा तो काफी हद तक रूक गई है फिर भी जातिवाद वहीं का वहीं है बल्कि अधिक घातक होकर है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बिहार की सड़कों का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें सरेआम सरकार की नाक के नीचे एससी-एसटी, ओबीसी और मुसलमानों ने रैली निकाल कर मांग की- ब्राह्मणों भारत छोड़ों। इसके बाद दिल्ली के जेएनयू की दीवारों पर नारे लिखे गये ब्राह्मण बणिया भारत छोड़ो। तीसरे उदाहरण के रूप में संसद मार्ग पर किसी संगठन की रैली का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वक्ताओं ने मांग उठाई ब्राह्मण बणिये ठाकुर भारत छोड़ो। यह स्थिति चिंताजनक है।

आज प्राय: सभी पार्टियॉं सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार दिखती है। सभी आदर्श और सिद्धान्त जातिवाद लील चुका है। यदि जातिवादी जनगणना की जाती है तो उसके परिणाम क्या होंगे यह अराजकता के रूप में अनुमानित है।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण बन गया अफीम की गोली

भारत में जातीय आरक्षण अफीम की गोली बन चुका है। हर राजनीतिक दल चाहता है कि वह जातीय आधार पर थोक वोट सेंत-मेत में कबाड ले। इस समय दो प्रदेशों में जातीय आरक्षण को लेकर काफी दंगल मचा हुआ है। एक है, छत्तीसगढ और दूसरा है -उत्तरप्रदेश। पहले में कांग्रेस की सरकार है और दूसरे में भाजपा की सरकार। लेकिन दोनों तुली हुई हैं कि 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा को तोडकर आरक्षण को 76 प्रतिशत और अन्य पिछडा वर्ग तक बढा दिया जाए। बिहार तथा कुछ अन्य प्रांतों में भी इस तरह के विवादों ने तूल पकड लिया है।

जहाँ तक छत्तीसगढ का सवाल है, उसकी सरकार ने विधानसभा में ऐसे विधेयक को पारित कर दिया है, जो 58 प्रतिशत आरक्षण को बढाकर 76 प्रतिशत कर देता है। आर्थिक दृष्टि से पिछडों के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। इस नई प्रस्तावित आरक्षण-व्यवस्था के पीछे न तो काई ठोस आंकडे हैं और न ही तर्क हैं। सितंबर 2022 में प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक फैसले में साफ-साफ कहा था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देना असंवैधानिक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि सीमा से अधिक आरक्षण देना हो तो उसके लिए उसे तीन पैमानों पर पहले नापा जाना चाहिए। यानी उनकी आर्थिक-शैक्षणिक स्थिति, उन्हें आरक्षण की जरूरत है या नहीं और वह उनको दिया जा सकता है या नहीं ? यह जांचने के लिए बाकायदा एक सर्वेक्षण आयोग बनाया जाना चाहिए। इन सब शर्तों को दर-किनार करके सभी राज्य आरक्षण को आनन-फानन बढा रहे हैं। छत्तीसगढ में तो राज्यपाल अनसूइया उइके पर राजनीतिक प्रहार किए जा रहे हैं कि वे भाजपा के इशारे पर इस विधेयक पर दस्तखत नहीं कर रही हैं।

यदि यह सही होता तो उ.प्र. के मुख्यमंत्री स्थानीय चुनावों में अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण देने पर क्यों अडे हुए हैं? योगी के इस फैसले का विरोध अखिलेश और मायावती भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक मे इस फैसले से सेंध लग सकती है। योगी ने अपने उच्च न्यायालय के आरक्षण-विरोधी फैसले से असहमति व्यक्त की है और कहा है कि जब तक इस आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा, उ.प्र. में स्थानीय चुनाव नहीं होंगे। उ.प्र. सरकार ने न्यायालय की अपेक्षा को पूरा करने के लिए एक जातीय सर्वेक्षण आयोग का प्रावधान भी कर दिया है।

अर्थात सरकारें कांग्रेस की हों, भाजपा की हों, जदयू की हों या कम्युनिस्टों की हों, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह जातीय आरक्षण का विरोध करे यानी वे डा. अंबेडकर की इच्छा को पूरी करते अर्थात जात-आधारित आरक्षण को 10 साल से ज्यादा चलने न देते।

छत्तीसगढ की राज्यपाल तो स्वयं आदिवासी महिला हैं। वे आदिवासियों के हितार्थ बहुत कुछ पहल कर रही हैं। वे यदि इस अंधाधुंध जातीय आरक्षण पर शांति से विचार करने के लिए कह रही हैं तो उसमें गलत क्या है ? हमारी अदालतें भी आरक्षण के विरूद्ध नहीं हैं लेकिन वे अंधाधुंध रेवडियां बांटने का विरोध कर रही हैं तो नेताओं को जरा अपने थोक वोटों के लालच पर कुछ लगाम लगानी चाहिए या नहीं ?

डा. वेदप्रताप वैदिक

आखिर जनरल समाज को एवं वास्तविक वंचितों, शोषितों को समानता का अधिकार कब मिलेगा ?

देश को आजाद करवाने में मंगल पांडे से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय तक, सुभाष चंद्र बोस से लेकर बाल.पाल.लाल तक, सवर्ण समाज के क्रांतिकारियों, बलिदानियों के योगदान से पूरा इतिहास भरा पडा है, लेकिन आजादी के बाद से वोट बैंक की कुटिल नीति के चलते धर्म निरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम समुदाय का एवं सामाजिक समरसता के नाम से समाज को दलित, पिछडे और अगड़े वर्ग में बांटकर समुदाय विशेष के तुष्टिकरण की प्रक्रिया आज तक बदस्तूर जारी है, ऐसे में जनरल समाज पूरी तरह से दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में जीवन यापन करने को मजबूर है।

जातिगत आरक्षण के कारण कुछ गिने चुने लोग और उनके रिश्तेदार तथा परिवार के लोग ही पीढी दर पीढी आरक्षण लाभ उठा रहे हैं। वास्तविक वंचित, शोषित, पीड़ित तो आज भी रोज कमाना, रोज पकाना की स्थिति में ही जी रहे हैं। चतुर लोग चुनाव के समय उन्हें सब्जबाग दिखाकर वोट लेने का काम करते हैं, परन्तु सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करते हैं और हर दस साल में आरक्षण को आगे बढाते जा रहे हैं।

सामाजिक समरसता के नाम से, जनरल को छोडकर एससी-एसटी,अल्पसंख्यक सभी को संविधान में आरक्षण के बहाने विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। वे हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद के झांसे में नहीं आते, इसलिए भारतीय राजनीति में संवैधानिक रूप से सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। अपने समुदाय के फायदे के लिये, मनचाहा कानून बनवा रहे हैं, संविधान में संशोधन करवा रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, न्यूनतम शुल्क, नि:शुल्क आवास व प्रशिक्षण आवश्यक प्रात्रता न होते हुए भी, आयु सीमा में छूट, नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में भी आरक्षण,एट्रोसिटी एक्ट पर कड़े कानून बनवा लेना आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

इस देश के कानून में एससी-एसटी वर्ग का हर स्त्री/पुरूष/बच्चा कानूनी तौर पर भगवान है। उसने किसी भी बुजुर्ग, सम्मानित जनरल या ओबीसी पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने उसका जाति सूचक अपमान किया है तो वह जनरल/ओबीसी जेल के अंदर होगा। इस तरह के कानूनों के कारण एक तरफ तो कुछ चतुर चालाक लोग बदले की भावना से या सरकार से मुआवजा प्राप्त के लिए इसका बडी मात्रा में दुरूपयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के न्यायालीन फैसलों को देखने से यह स्पष्ट है कि, एट्रोसिटी एक्ट के लगभग 95 प्रतिशत मुकदमें झूठे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में दशकों से चली आ रही भाईचारे की स्वस्थ परम्परा में दरार बढती जा रही है।

वोट बैंक की कुटिल चाल के लिए तुष्टीकरण की नीति ने जनरल समाज से उच्च शिक्षा, नौकरियां, पदोन्नति, सरकारी ठेकेदारी, मुखिया, सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि के अधिकांश पद, घोषित/अघोषित आरक्षण के कारण छीन लिए गए हैं।

आपको, आपके बच्चों के भविष्य को कानूनी तौर पर अंधकारमय बनाया जाता रहे और आप उन राजनेताओं के तलवे चाटते रहिये! यदि आपने जरा भी अपनी पीडा का इजहार किया, तो आप देशद्रोही, धर्मद्रोही, हिंदुत्वद्रोही घोषित कर दिये जाएंगे।

आज जनरल समाज को ऐसे किसी भी झांसे में न आते हुए, अपने समाज के हित एवम देश की एकता और अखंडता के लिए कमर कसते हुए उठ कर खडे होने की महती आवश्यकता है।

- आभार-डॉ शिव शरण श्रीवास्तव

पौराणिक कथन : 'दीक्षा'

देवी ललिता की उपासना संबंधी शाम्भवी दीक्षा जो सद्गुरू की दृष्टि, वचन या स्पर्श मात्र से प्राप्त हो जाती है।

जातिवादी गणना का जहर,
मानव थोड़ा तो सोच ठहर।
देश धर्म भी होता है कुछ-
क्यों बरपाता यूँ विकट कहर।।

कविता

'इसका क्यों न विरोध करें'

जिसने कितनी ही प्रतिभाओं का
भावी जीवन लील लिया।
जिसने कितनी ही माताओं के
अंतर्मन को छील दिया।।

जिसने स्वप्निल यौवन निद्रा
तहस नहस कर डाली है।
जिसने बूढ़े बाप की लाठी
चूर चूर कर डाली है।।

कब क्या हुआ देश में आओ
इसी विषय पर शोध करें।
जातिगत आरक्षण विष है,
इसका क्यों न विरोध करें।।

संविधान में कुछ जातिओं को
अवसर दिए तरक्की के।
आज वही भारी भरकम हो
पाट बन गए चक्की के।।

दो पाटों के बीच पिस रहे
समतावादी युवक युवती।
यह पीड़ा का हल हो कैसे,
सूझी नहीं कोई युक्ति।।

आंदोलन भी हुए, मौत भी हुई,
क्यों नहीं क्रोध करें।
जातिगत आरक्षण विष है,
इसका क्यों न विरोध करें।।

दस वर्षों का था आरक्षण,
आगे आगे और बढ़ा।
वोटों के चक्कर में नेताओं का
मंथन और बढ़ा।।

तुष्टीकरण से पुष्टीकरण करना
इनका बाजार हुआ।
युवा वर्ग बिन रोजगार है,
योग्य बड़ा लाचार हुआ।।

समानता का अधिकार सब खत्म हो गया,
बोध करें।
जातिगत आरक्षण विष है,
इसका क्यों न विरोध करें।।

कब क्या हुआ देश में आओ
इसी विषय पर शोध करें।
जातिगत आरक्षण विष है,
इसका क्यों न विरोध करें।।

आभार. वैद्य श्री भगवान सहाय पारीक,
सेनि. उपनिदेशक, जयपुर

अटल और अनम्य

गतांग से आगे:

और यह सबकुछ ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सरकारी ढाँचे को सामंजस्य अनुकूल और नव-प्रवर्तन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है ।

इस पूरे मामले का संबंध केवल उस जाति-वर्ग विशेष के सदस्यों से ही नहीं हैं, इसका संबंध शेष समाज के सदस्यों से भी उतना ही है; क्योंकि जाति-वर्ग विशेष के सदस्यों (आरक्षण के आधार पर) जो नौकरियाँ दी जा रही हैं, उनसे शेष समाज को वंचित भी तो रखा जा रहा है । यह सबकुछ ऐसे समय में हो रहा है, जब हमारे देश को सामाजिक समरसता की इतनी आवश्यकता है।

इससे भी दुखद बात, जिस समूह-वर्ग को मजबूत एवं सक्षम बनाने के लिए यह नीति चलाई जा रही है, वह कोई समूह या वर्ग नही है बल्कि एक जाति है।

इस प्रकार हर कोई - प्रगतिवादी लोग तो सबसे ज्यादा - बस समाज को एक भयानक अभिशाप में धकेल रहा है। और फिर यह भी देखें कि उसे क्या दिया जा रहा है - किसी जाति विशेष का सदस्य होने के नाते उसे जो कुछ दिया जा रहा है, वह कोई नकद पुरस्कार तो नहीं है; जो एक बार दे दिया, बस बात खत्म । उसे सरकारी अधिकार दिया जा रहा है, जिससे गलत धारणा को बल मिलता है कि सरकारी व्यवस्था का एक एक अंग किसी व्यक्ति या समूह विशेष के लिए है । क्या इस प्रकार की धारणा के कारण हमारा सरकारी ढाँचा पहले से ही विरूपित नहीं हो चुका है ? अब यह धारणा सरकारी ढाँचे के बाहर भी अपना प्रभाव जमा रही है।

दूसरा उपाय या रास्ता

पिछले बीस वर्षों से दी जा रही एक एक छूट तथा ढील और आरक्षण की सूची में शामिल की जा रही एक एक जाति - सबकुछ एक ही बात को ध्यान में रखकर किया जा रहा है- वोट बैंक, जिसके लिए अच्छा संकेत देने की आवश्यकता है । किंतु दु:ख की बात है कि प्रगतिशील न्यायाधीश भी इसमें हर्ज महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तो इसमें भी अच्छाई दिखाई दे रही है ।''कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि आरक्षण वोट बैंक भरने का एक जरिया भर बनकर रह गया है ।'' यह टिप्पणी वसंत कुमार मामले में की गई थी - ''ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता । इतना ही कहा जा सकता है कि 'बुराई में से ही अच्छाई निकलती है' और दलित वर्ग का जितनी जल्दी उद्धार हो जाता है, राष्ट्र के लिए उतना ही अच्छा है ।''

यह तो एक छोटा सा नमूना है। हमारा राजनीतिक वर्ग किसी समूह या समुदाय विशेष को छूट देता है, किसी समस्या या क्षेत्र के लिए धन उपलब्ध कराता है - और बस, वह गरीबों, दलितों, वंचितों का समर्थक होने का दावा करने लगता है।

> ए. परियाकरूप्पन मामले में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि आरक्षण किसी के निहित स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए । शोषित कर्मचारी संघ मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण नीति की सफलता की कसौटी यही होगी कि कितनी जल्दी आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है ।

पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों के मामले में केन्द्र सरकार पैसा बहाकर इस भ्रम में रह जाती है कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है । यह पैसा विद्रोही गुटों के पास पहुँच जाता है । और यदि आप इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करें तो आरोप लगा दिया जाएगा कि आप तो 'कश्मीर -विरोधी हैं या पूर्वोत्तर-विरोधी हैं।'

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में राजनीतिक वर्ग यह मानकर बैठ गया है कि गरीबों के प्रति उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, क्योंकि अनाज राशन की दुकानों तक पहुँच गए हैं; जबकि योजना आयोग स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ''30 से 100 प्रतिशत राशन खुले बाजार में पहुँच जाता है ।''

यह सब कुछ सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक ही सीमित नहीं है। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि गरीबी-निवारण कार्यक्रमों पर खर्च की जानेवाली कुल धनराशि - अन्य क्षेत्रों, जैसे ढाँचागत विकास और सामाजिक कल्याण आदि पर की जानेवाली धनराशि को छोडकर - उस समय 40,000 करोड प्रतिवर्ष थी; देश भर में गरीब परिवारों की संख्या लगभग 5 करोड थी; फिर भी एक गरीब परिवार के पीछे मात्र 8000 रूपए आ रहे थे।

> ''सामान्य श्रेणी की कितने प्रतिशत सीटें उन जातियों को मिल रही हैं, जिनके लिए पहले ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है?'' तो उत्तर नहीं मिलेगा । बल्कि एक आरोप और मढ दिया जाएगा, ''यह सब कुछ पूरी आरक्षण नीति को संदेह के घेरे में डालने और इस प्रकार पिछडे वर्गों द्वारा अंतहीन संघर्ष के बाद प्राप्त किए थोडे बहुत लाभों को भी हथिया लेने के एक षडयंत्र का हिस्सा है ।''

उसने आगे लिखा था -''यदि यह भी मान लिया जाए कि इन 5 करोड गरीब परिवारों में प्रत्येक परिवार पूरी तरह से निर्धन था और उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नही था, तो भी इस पैसे से वह न रूपए प्रति कि.ग्रा. की दर से 3 कि.ग्रा. अनाज प्रतिदिन बाजार से खरीद सकता था और इस प्रकार न वह गरीबी रेखा से ऊपर आ सकता था ।

लेकिन जैसे ही आप इन योजनाओं पर सवाल उठाएँगे या अधिकारिक रिपोर्टों का उद्धरण देकर यह कहेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी दूर करने में मूल्य-सापेक्षता की दृष्टि से बहुत कम सफल है, तुरंत आपके ऊपर यह आरोप मढ दिया जाएगा कि आप गरीब -विरोधी हैं ।

आरक्षण के मामले में भी बिलकुल यही स्थिति है । ए. परियाकरूप्पन मामले में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि आरक्षण किसी के निहित स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए । शोषित कर्मचारी संघ मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण नीति की सफलता की कसौटी यही होगी कि कितनी जल्दी आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है

''सेवायोजन, शिक्षा, विधायी संस्थाओं में लागू आरक्षण नीति की हर पाँच वर्ष में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए ।'' वसंत कुमार मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.वी.चंदञ्चूड ने सुझाव दिया था । लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि आप केवल इतना ही पूछ लें कि आरक्षण कब खत्म होगा, तो तुरंत आपको दलित-विरोधी की उपाधि से लाद दिया जाएगा ।

क्या केवल कुछेक उपजातियाँ ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों / पदों पर कब्जा जमा रही हैं ? क्या जातियों को पिछडे वर्ग की सूचि में इसलिए शामिल किया जा रहा है कि वे सचमुच पिछडी और वंचित हैं ? या इसलिए कि उनकी शक्ति और प्रभावशीलता को देखते हुए राजनेताओं को ऐसा करना पड़ रहा है ?

सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका को निर्देश दिया था कि वह बराबर नजर रखे कि आरक्षण का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है; यह पैंतीस वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज भी यदि आप पूछें कि ''सामान्य श्रेणी की कितने प्रतिशत सीटें उन जातियों को मिल रही हैं, जिनके लिए पहले ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है?'' तो उत्तर नहीं मिलेगा । बल्कि एक आरोप और मढ दिया जाएगा, ''यह सब कुछ पूरी आरक्षण नीति को संदेह के घेरे में डालने और इस प्रकार पिछडे वर्गों द्वारा अंतहीन संघर्ष के बाद प्राप्त किए थोडे बहुत लाभों को भी हथिया लेने के एक षडयंत्र का हिस्सा है ।'' ....शेष अगले अंक मे

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

देश संविधान से चलता है या मनुस्मृति से, फैसला करे सुप्रीमकोर्ट-याचिका दायर ???

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चेतन बैरवा ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने की मांग की है कि देश संविधान से चलता है या मनुस्मृति से। यदि तो देश संविधान से चलता है तो फिर हाईकोर्ट जयपुर में मनु की मूर्ति क्यों? यह याचिका एडवोकेट बैरवा ने सामाजिक सोच रखने वाले तलावडा गांव (तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान) निवासी, रामजीलाल बैरवा (अनु जाति), जगदीश प्रसाद गुर्जर (ओबीसी) तथा जितेंद्र कुमार मीणा (अनुजनजाति) की तरफ से 12 जनवरी को दायर की है जिसमे यह कहा गया है कि हाईकोर्ट जयपुर में लगी मनु की मूर्ति संविधान विरोधी है लिहाजा उसे वहाँ से हटाया जाना चाहिए (खासकर इसलिए जबकि हाईकोर्ट खुद ही संविधान के आर्टिकल 214 की ताकत के बल पर खडा हुआ है।

एडवोकेट बैरवा ने मनु की मूर्ति को संविधान विरोधी बताया है क्योंकि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई मूलभावना (स्वतंत्रता, समानता, न्याय व बंधुता) के खिलाफ है। एडवोकेट बैरवा ने मनु की मूर्ति को संविधान के पार्ट 3 के खिलाफ भी बताया है जिसमे कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार दिए हुए हैं।

याचिका में एडवोकेट बैरवा ने मनुस्मृति के उन खास श्लोकों का हवाला भी दिया है जो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ हैं, साथ ही जो क्षत्रिय, वैश्य व महिलाओं के खिलाफ भी हैं (जैसे कि मनुस्मृति के चैप्टर 2 के श्लोक 138 में लिखा हुआ है कि 100 साल के क्षत्रिय को भी 10 साल के ब्राह्मणों के बच्चे को अपने बाप के बराबर मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए ? इसका आज दिन तक मनु के पास कोई जवाब नही है।

चैप्टर 8 के श्लोक 417 में लिखा हुआ हैं कि वैश्यों व शूद्रों को राजकाज के नजदीक नही आने देना चाहिए वरना समाज में अराजकता फैलने का डर रहता है। चैप्टर 2 के श्लोक 218 में साफ लिखा हुआ है कि महिलाएं विद्वान से विद्वान पुरूष को भी गलत रास्ते पर ले जाने में सक्षम होती है। चैप्टर 5 के श्लोक 150 में लिखा हुआ है कि महिला चाहे बूढी हो या जवान उसे स्वतंत्र नहीं छोडा जाना चाहिए। चैप्टर 1 के श्लोक 93 में लिखा है कि शूद्रों (एससी,एसटी,ओबीसी) को धन संचय का कोई अधिकार नही हैं। चैप्टर 10 के श्लोक 122 में लिखा हुआ है कि शूद्रों (एससी, एसटी, ओबीसी) को झूठा खाना और फटे टूटे कपडे ही पहनने को दिए जाने चाहिए।

चैप्टर 4 के श्लोक 216 में लिखा हुआ है कि भील, मदारी, लुहार, धोबी इस सबका अन्न अपवित्र होता है लिहाजा उसे ग्रहण नही किया जाना चाहिए।

चैप्टर 8 के श्लोक 397 में लिखा हुआ है कि नट, चारण, भाट तो खुद ही अपनी आजीविका के मध्य नजर अपनी स्त्रियों को सजा धजा कर पुरूषों के पास भेज देते है। चैप्टर 9 के श्लोक 91 में लिखा हुआ है कि सुनार पापियों का शिरोमणि होता है लिहाजा शासक को चाहिए कि वह उसके साथ शक्ति से पेश आए।

उपरोक्त श्लोकों का हवाला देते हुए एडवोकेट चेतन बैरवा ने याचिका में कहा कि मनु की मूर्ति न केवल भारतीय लोकतंत्र की विरोधी है बल्कि वह एससी, एसटी, ओबीसी पर अत्याचार करने की प्रेरणा देने वाली भी है।

धर्म परिवर्तन का मूल कारण भी एडवोकेट बैरवा ने इस याचिका में मनुस्मृति को ही माना है क्योंकि मनुवाद और जातिवाद के उत्पीडन के चलते एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुध, जैन बन जाते है जिससे कुल मिला कर हिंदू धर्म का ही नुकसान होता है।

एससी, एसटी, ओबीसी को सरकारी नौकरियों व उच्च शिक्षा में आरक्षण दिए जाने के पीछे भी मूल कारण, एडवोकेट बैरवा ने मनुस्मृति द्वारा पैदा किए हुए सामाजिक भेदभाव को ही माना है। वरना बाबासाहब अंबेडकर को संविधान में आरक्षण के प्रावधान करने की जरूरत ही नही पडती।

मनुस्मृति को बैरवा ने सीधा सीधा देश की 75 प्रतिशत जनता के खिलाफ बताया है जिसमे 16 प्रतिशत अनुजाति, 7 प्रतिशत अनु जनजाति तथा 52 प्रतिशत ओबीसी है।

एडवोकेट बैरवा ने याचिका में यह भी कहा कि सन 1947 में पाकिस्तान के बनने का मूल कारण भी मनुवाद और जातिवाद ही है क्योंकि ना एससी, एसटी, ओबीसी के साथ सामाजिक आर्थिक भेदभाव होता और न मुस्लिम जनसंख्या बढती और न मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष मोहमद अलीजिन्ना को पाकिस्तान बनाने की मांग करनी पडती। एडवोकेट बैरवा ने याचिका में आगाह किया कि मनुवाद और जातिवाद यूं ही अगर चलता रहा तो भारत देश एक बार फिर से विभाजन का शिकार हो सकता है। याचिका के अंत में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि वह राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर को अपने यहां लगी मनु की मूर्ति हटाने के निर्देश जारी करे।

समता ज्योति के स्वामित्व तथा अन्य जानकारी से संबंधित विवरण

फार्म-4

(नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थान	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
2. प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
3. मुद्रक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
4. प्रकाशक का नाम	:	समता आन्दोलन समिति
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर ।
5. सम्पादक का नाम	:	योगेश्वर शर्मा
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	जी-3, संगम रेजिडेन्सी, चित्रकूट, वैशाली नगर, जयपुर ।
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के स्वामी है तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार है।	:	समता आन्दोलन समिति 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर।

मैं पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है।

जनवरी, 2023

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, समता आन्दोलन समिति

उपरोक्त याचिका पर सम्पादकीय मत

''मनु की मूक प्रतिमा पर फिर से आक्रमण न्यायसंगत नहीं है''

सोशल मीडिया पर पहले भी ये वायरल हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील चेतन बैरवा ने याचिका दायर करके राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगी मनु की प्रतिमा को हटाने की मांग की है। अब वही बात प्रिंट मीडिया के छोटे से अखबार ''सीमान्त रक्षक न्यूज'' ने उसी बात को विस्तार से छाप कर देश की समरसता में जहर घोलकर सस्ती और क्षणिक वाहवाही लूटने का प्रयास किया तो हमें भी लगा कि यह सब झूठ है या सच इस पर बाद में बात करेंगे लेकिन इस आलेख के बहाने बार-बार उठाये जाने वाले ''मनुस्मृति'' विवाद पर चर्चा कर ही ली जावे।

पहली बात तो ये है कि जिस मनु प्रतिमा पर विवाद किया जाता रहा है उस पर राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच सुनवाई कर चुकी है और वरिष्ठ वकील वेदपाल शास्त्री ने अकेले अनेक कथित दलित वकीलों की दलीलों का जवाब दिया था। उस हाईकोर्ट के निर्णय का चेतन बैरवा ने कोई उल्लेख नहीं किया है। दूसरी बात किसी प्रतिमा से जातीय विद्वेष फैलता है या कुत्सित विचारों के फैलाव से ?

ये भी नोटिस से स्पष्ट नहीं होता है। मनु की बात करे तो भारतीय मनीषा आठ मन्वन्तरों की चर्चा लिखित रूप में करती है। अर्थात आठ मनु हो चुके है। इनमें से किस मनु की रचना मनुस्मृति है ये कोई नहीं जान सकता है।

किसी प्रतिमा से यदि जातीय विद्वेष फैलता तो देश में लाखों मंदिरों में करोडों प्रतिमाएं हैं। हर प्रतिमा एक विश्वास की प्रतिनिधी है। फिर केवल एक प्रतिमा जो कि न तो मंदिर में, चौराहे पर या सार्वजनिक स्थान पर अवस्थित है बल्कि सामान्य जन को जिसके बारे में उडती सी जानकारी भी नहीं है उससे किसी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कैसे हो सकता है ? फिर जिस मनुस्मृति का उल्लेख करके सुप्रीम कोर्ट के वकील ने नोटिस जारी किये हैं क्या वो मूल ग्रंथ है ? अथवा, क्षेपकों से विस्तारित ग्रंथ है। इनमें मूल श्लोक कौन सा है और कौन सापेक्षक है इसका निर्धारण कब किसने कहाँ किया ?

खोखले और आधारहीन तथ्यों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया को मजाक बनाने वाले लोग अदालतों में लम्बित सवा तीन करोड मुकदमों को सुलझाने में अदालतों की मदद करने के बजाय इस तरह की ऊलजलूल बातें करके देश में न्यायिक अराजकता को फैलाने के जिम्मेदार क्यों न मान लिये जायें ? जबकि ऐसे लोगों को भारतीय मनीषा के इस प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति और मनु पर गर्व करना चाहिए कि अखिल विश्व में मानवीय आचरण को संहिताबद्ध करने का यह धरती पर महला प्रयास है। और यदि गंभीर शोध किया जाये तो दुनिया के सारे संविधानों का मूल बिंदु मनुस्मृति है। फिर याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि 29 ऋषियों की भी स्मृतियां हैं। उनपर चर्चा भी नहीं की जाती ? ऐसा क्यों है ?

तथ्यतः देखें तो मनु की प्रतिमा मूक है। निष्प्राण है। मनु के वर्तमान होने का कोई प्रमाण ही नहीं है तो फिर उनकी तरफसे जवाब कौन देगा ? बिना उनके स्पष्टीकरण के उनके लेखन को गलत अथवा सही कोई भी कैसे ठहरा सकता है ? चेतन बैरवा का यह सारा प्रयास अपने निजि व आधारहीन विचारों पर आधारित एक विद्वेष फैलाने वाला काम है।

नोटिस में मनुस्मृति के अनेक उद्धरण दिये गये हैं जिनका उत्तर दिया जाना इसलिये अनावश्यक है कि जिस कालखंड की प्रांजल संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा है उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

अनुवाद की भाषा के आधार पर मूल कृति पर प्रश्न उठाना पानी को पीटने जैसा है। फिर अनुवाद को समझना भी आसान नहीं है। उदाहरण के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई को लिया जा सकता है। अनपढ लोग बार विवाद खडा करने के लिए-''ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी''- चौपाई बोलकर अपने कालखंड के प्रकांड जनतपस्वी और विद्वान तुलसीदास पर तरह तरह के स्तरहीन आरोप लगाते हैं। लेकिन वे जिस ''ताड़न'' शब्द को आधार बनाकर आरोप लगाते हैं उसके दो अर्थ हैं। पहला देखना और दूसरा दण्डित करना। अब रचनाकार ने क्या समझकर और क्या बताने के लिये इस शब्द का प्रयोग किया है इसका उत्तर तो लेखक ही दे सकता है। लेखक पांच सौ साल पहले ही दिवंगत हो चुके हैं तो अब, सही बात और भाव कौन बतायेगा ? ठीक यही तथ्य मनुस्मृति के श्लोकों पर भी लागू होता है।

विशेष बात ये कि याचिकाकर्ताओं के रूप में जिन लोगों के नाम दिये गये हैं उनमें से सभी उस वर्ग से नहीं हैं जिसपर आरोप लगाये जा रहे हैं। कुल मिलाकर चेतन बैरवा की याचिका और नोटिस अगंभीर, अनावश्यक की श्रेणी में आभासित होते हैं। बेहतर होता चेतन बैरवा इतनी मेहनत ''क्रीमीलेयर'' के खिलाफ करते। लेकिन वहाँ उन्हें तथ्यों का सामना करना पडता। इसलिये उन्होंने इस अनावश्यक विषय को उठाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी चाही है। हम उनके साथ नहीं हैं।

-योगेश्वर नारायण शर्मा

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in